

कार्यालय जिला पंचायत, बेमेतरा (छ.ग.)

drda.bmt@gmail.com Phone No -07824-222609 & Fax No. 222609

// विज्ञापन //

क्र./1574/जि.पं./VB-G RAM G/स्था./2026-27

बेमेतरा, दिनांक : 14.10.26

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक ESTB/27560/2026-P&RD नवा रायपुर, दिनांक 05/08/2026 तथा आयुक्त, विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. I/608889/2026/वि-7/स्था./VB-G RAM G दिनांक 31/08/2026 के निर्देशानुसार जिले में जनपद स्तर पर रिक्त संविदा अधोवर्णित पदों की पूर्ति हेतु, संविदा नियुक्ति भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 05/11/2026 सायं 5:30 बजे तक, केवल निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण अर्हता एवं अनुभव आदि प्रमाण-पत्रों तथा नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित फोटो सहित कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन तथा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

क्र	पद का नाम	रिक्त पद					संविदा वेतन (मासिक एक मुश्त)	शैक्षणिक अर्हता एवं मेरिट अंक			
		अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अ.पि.व.	योग			शैक्षणिक अर्हता	विवरण	अंक
1	कार्यक्रम अधिकारी	1 (मुक्त)	—	—	—	01	रु. 39875 /—	प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए. / बी.ई. / MRTM (Master of Rural Technology and Management) / गणित / भौतिक विषय में स्नातकोत्तर।	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंको का Weightage देते हुये	70	
									कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंको का Weightage देते हुए।	15	
									शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-		
									न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5	
									5 वर्ष तक का अनुभव	10	
									5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15	
2	सहायक प्रोग्रामर	1 (मुक्त)	—	—	—	01	रु. 35165 /—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. सी. (कम्प्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी) / एम. सी.ए. या समकक्ष उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी. टेक या समकक्ष उपाधि।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	45	
									कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंको का Weightage देते हुए	40	
									शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव—		
									न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5	
									5 वर्ष तक का अनुभव	10	
									5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15	

3	लेखापाल	1 (मुक्त)	-	1 (मुक्त)	-	02	रु. 23350/-	55 प्रतिशत के बी.कॉम (अजजा/अजा हेतु 50 प्रतिशत में बी.काम उत्तीर्ण)	हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए।	20
									न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंको का Weightage देते हुए।	50
									कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
									शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
									न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
									5 वर्ष तक का अनुभव	10
									5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

विज्ञापन में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि अथवा संशोधन होने पर राज्य कार्यालय के पत्र क्रमांक/I/608889/2026 दिनांक 31.08.2026 अनुसार निर्देशों का पालन किया जायेगा। विज्ञापन, नियम व अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना पटल तथा जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा, जिला बेमेतरा(छ.ग.) पिन 491335 के नाम से दिनांक 05/11/2026 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत/अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3/नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों के लिए अधिकतम 05 वर्ष की छुट होगी। किन्तु सभी छुटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जावेगी।
3. आरक्षित पदों में आवेदन हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
5. आवेदन में आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्व-प्रमाणित (सत्यापित) होना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
6. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2027 तक के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य की योग्यता, कार्यक्षमता/आकलन एवं व्यवहार/संतोषप्रद के आधार पर शासन के निर्देशानुसार संविदा कार्य अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।

8. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
9. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु-लाभ की पात्रता नहीं होगी।
12. प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा तदोपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
13. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। एवं कमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
14. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव होने पर ही अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा।
15. शासकीय/अन्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
17. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
18. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
19. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम तथा प्रवर्ग का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जावे, अन्यथा लिफाफा न खोला जाकर आवेदन को निरस्त माना जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
20. ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने विवाह के लिए निर्धारित वैधानिक न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष एवं महिला हेतु 18 वर्ष) पूर्ण करने के पूर्व विवाह किया हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से पत्नी जीवित हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि उक्त प्रतिबंध के संबंध में शासन द्वारा नियमानुसार विशेष छुट प्रदान किए जाने की स्थिति में छुट संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
21. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
22. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
23. किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दर्शाये गये पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
24. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 12 वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

25. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
26. आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट अक्षरों में स्वयं का पता लिखा हुआ 02 नग लिफाफा, 5×5 रुपये का डाक टिकट सहित संलग्न करें।
27. समस्त प्रकार के आवश्यक/अनिवार्य अर्हताएं आवेदन आमंत्रण के अंतिम तिथी तक की ही मान्य की जाएंगी।
28. जिस अभ्यर्थी की चयन/नियुक्ति की जाती है तो वे नियुक्ति तिथी से 15 दिनों के अन्दर जिला चिकित्सालय/मेडिकल बोर्ड से मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
29. विज्ञापन एवं आवेदन का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.) के सूचना पटल, जिला प्रशासन बेमेतरा के वेबसाइट www.bemetara.gov.in से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है। भर्ती के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in में प्रकाशित किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत बेमेतरा
 बेमेतरा, दिनांक : 14.10.26

पृ. क्र./1575/जि.पं./VB-G RAM G/स्था./2026-27

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, विकसित भारत, जी राम जी, विकास भवन सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. सहायक संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बेमेतरा/बेरला/नवागढ़/साजा, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. स्थापना/लेखा शाखा जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ।
9. सूचना फलक चस्पा हेतु अग्रेषित।
10. रिकार्ड नस्ती।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत बेमेतरा

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-बेमेतरा,
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)।

स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदित पद/प्रवर्ग का नाम प्रवर्ग.....

1. आवेदित पद का नाम :-.....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-.....
(अंग्रेजी में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-.....
4. लिंग (महिला/पुरुष) :-.....
5. जन्म तिथि (अंको में) :-.....
(शब्दों में) :-.....
(दिनांक 01.01.2026 को आयु) :- वर्ष.....माह.....दिन.....
6. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अन्य) :-.....
(आरक्षित वर्ग सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता :-.....
(दूरभाष/मोबाईल नं. व पिन कोड सहित)
.....
.....
8. स्थायी पता :-.....
(दूरभाष/मोबाईल नं. व पिन कोड सहित)
.....
.....
10. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं :-.....
11. क्या दो से अधिक जीवित संतान है ? :-.....
(यदि हाँ तो तीसरी संतान की जन्म तिथि)
.....
12. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ/नहीं :-.....
(विकलांग संबंधी मेडिकल बोर्ड की सत्यापित
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

13. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता विवरण :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	संस्था/बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1								
2								
3								
4								
5								
6								

14. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य

अनुभव संबंधी विवरण :-

क	पद का नाम	कार्या. का नाम व पता	अनुभव समयावधि(दिनांक से दिनांक तक)	कार्यरत अवधि (वर्ष/माह)	वेतनमान एवं संविदा वेतन	नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक

15. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, हाँ या नहीं :-.....

16. सहपत्र सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित :- (सभी प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

- 1..... 2.....
- 3..... 4.....
- 5..... 6.....
- 7..... 8.....
- 9..... 10

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें से कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उनका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम व पता)